(ii) 10 years, and

(iii) 5 years;

(b) whether it is the policy of Government that such officers should not remain at a particular station continuously for such a long period so as to avoid developing undue influence; and

(c) if so, the steps being taken to bring down the number of officers referred to above?

The Minister of State in Ministry of Railways (Dr. Ram Subhag Singh): (a) (i) Nil.

(ii) 14.

(iii) 20.

(b) and (c). The policy of the Government is that officers should not be normally retained at one place for unduly long periods. Transfers are periodically made, keeping, in view administrative requirements. Among the 34 officers referred to in part (a), 17 are Administrative Officers who have to be kept at Delhi, as the Administrative posts are only in the Headquarters office at Delhi. The remaining 17 officers have mostly been transferred from one post to another in the Headquarters office or in the Divisional office and from the Headquarters office to the Divisional office and *vice-versa*. In a few cases, officers have to be kept in the same post for long periods on account of the specialised nature of the job.

Export of Handloom Goods

226. **Shri M. Malaichami:** Will the Minister of Commerce be pleased to state:

(a) whether it is a fact that the total export earnings of handloom goods during 1965-66 have exceeded that of 1964-65; and

(b) if so, whether all the accumulated stock of handloom goods has been cleared?

The Deputy Minister in the Ministry of Commerce (Shri S. V. Ramaswamy): (a) The exports of handloom goods during 1965-66 (April-August) were of the order of Rs. 6·47 crores as against Rs. 4·74 crores for the corresponding period in 1964-65. The total exports of handloom goods during 1964-65 (April 1964—March 1965) were of the order of Rs. 15:04 crores.

(b) There is still some accumulation of handloom fabrics in Andhra Pradesh, Madras and Maharashtra.

12 hrs.

CALLING ATTENTION TO MATTER OF URGENT PUBLIC IMPORTANCE

IMPOUNDING OF INDIAN SHIPS AND CONFISCATION OF JUTE, TEA ETC. BY PAKSITAN

श्री यशपाल सिंह (कैराना) : अध्यक्ष महोदय, मैं अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्नलिखित विषय की ओर परिवहन मंत्री का ध्यान दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस बारे में एक वक्तव्य दें :—

> "पाकिस्तान द्वारा भारतीय जहाजों को रोका जाना और लगभग 5.35 करोड़ रुपये के भारतीय पटसन, चाय, आदि का जब्त किया जाना तथा उस पर भारत सरकार की प्रतिक्रिया" ।

The Minister of Transport (Shri Raj Bahadur): I have a statement to make; it is a lengthy one; it runs over about 11 pages.

Mr. Speaker: Is he prepared to lay it on the Table of the House?

That would be circulated and then I will allow an opportunity to Members to put their questions.

Shri Raj Bahadur: I lay the statement on the Table of the House. [*Placed in Library. See* No. LT-5075/65].

An hon. Member: It may be circulated today.

Mr. Speaker: It cannot be circulated today. If they are satisfied, I suggest that they may look into the statement and I will allow an opportunity later.

अगर माननीय सदस्य चाहते हैं, तो वे आज ही इस स्टेटमेंट को पढ़ लें और मैं आज ही सवालों के लिए मौका दे सकता हूं ।

श्री नाथ पाई (राजापुर) : इस को सोमवार को लिया जा सकता है ।

अध्यक्ष महोदय : तो हम इस को सोमवार को ले लेंगे ।

12.02 hrs.

RE: MOTIONS FOR ADJOURNMENT AND CALLING ATTENTION NOTICES.

(*Query*)

डा० राम मनोहर लोहिया (फ़र्रुखाबाद): अध्यक्ष महोदय,

अध्यक्ष महोदय : मैंने माननीय सदस्य का नोटिस रखा हुआ है । पहले प्राइम मिनिस्टर का स्टेटमेंट हो जाने दीजिये । अगर उन्होंने अपने स्टेटमेंट में इस मामले को डील न किया, तो मैं बाद में इस को ले लूंगा ।

डा० राम मनोहर लोहिया : मैं आप का ध्यान इस तरफ़ खींचना चाहता हूं कि प्रधान मंत्री साहब अपना बयान दे देंगे और फिर उस के बाद आप इस घर को बरखास्त कर देंगे । मुझे थोड़ा सा जिक्र कर लेने दीजिए । अगर मैं अंग्रेजी बोलूं, तो आप मुझे बोलने देंगे । मुझे एक मिनट बोलने दीजिए ।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के मामले में प्रधान मंत्री साहब ने मजबूरी से कुछ तो अपनी कामयाबी दिखाई, लेकिन बहुत मामलों में वह निकम्मे साबित हुए है । हम दो दिनों से बैठे हुए हैं, लेकिन वह बात सदन में नहीं आ पाई है । प्रधान मंत्री खाली अपनी बात कहते चले जायेंगे । आप उन को बयान देने का मौका दे देंगे । आखिर हम काहे के लिए यहां आते हैं ? मान लीजिए कि इस मामले में मैं अकेला ही हूं, लेकिन मुझे भी उन के निकम्मेपन के बारे में बात करने का मौका मिलना चाहिए, ताकि देश अपनी हालत को सुधार सके । अगर आप को तकलीफ़ हो रही है, तो मैं बैठ जाता हूं । मैंने ध्यानाकर्षण प्रस्ताव और स्थगन प्रस्ताव दिये हैं ।

हिन्दुस्तान और पाकिस्तान के बारे में हमारी एक खास दृष्टि है, जिस के मुताबिक यह मामला हल किया जा सकता है । या तो दोनों देशों का महासंघ बनेगा, या युद्ध होगा । पिछले तेईस दिन तक लड़ाई चली । उस में सरकार की तरफ़ से निकम्मापन दिखाया गया । अब ऐसी हालत है कि जब आग लगती है, तब कुआं खोदने की सोचते हैं, पहले से कुआं खोदने की तरफ़ ध्यान नहीं देते हैं । इन बातों को उठाने का मौका मिलना चाहिए । अभी वह मौका है । आज बाद में प्रधान मंत्री अपना बयान दे देंगे और आप सदन को बरखास्त कर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : अभी मौका नहीं है । मैंने पहले जो फ़ैसला दे दिया है, मैं उसी पर पाबन्द हूं । डाक्टर साहब ने ऐसी कोई बात नहीं कही है, जो मुझे अपने फ़ैसले से बदल सके । असल में डाक्टर साहब को यह बात इस तरह उठानी नहीं चाहिए थी । जब मैं किसी और मेम्बर को ऐसा करने की इजाजत नहीं देता हूं, तो उन को कैसे दे सकता हूं । उन्होंने कहा कि वह अकेले हैं, शायद इसलिए मैं उन की बात नहीं मानता हूं । उन्होंने यह भी कहा कि अगर वह अंग्रेजी में बोलते, तो शायद मैं उन को मौका दे देता । ये दोनों बातें ग़लत हैं । क्या बाकी के हिन्दी बोलने वाले माननीय सदस्यों को मैं रोकता हूं और क्या मैं सिर्फ़ अंग्रेजी बोलने वालों को ही इजाजत देता हूं ?

श्री रामेश्वरानन्द (करनाल) : अध्यक्ष महोदय, यह बात तो सत्य है ।

अध्यक्ष महोदय : जो कुछ माननीय सदस्य कहते हैं, अगर मैं हमेशा उस को दिल में रखूं, तो मैं हर वक्त उन से ही लड़ता रहूं ।